प्रेषक,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रेष्य,

समस्त मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या)
उत्तर प्रदेश।
समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 1049 /जी-85/2015 दिनांक:लखनऊ:मार्च 09 2015

विषय **उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत सेवाओं को अधिसूचित किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-308/79-वि-1-11(क)4-2011 दिनांक 4.3.2011 द्वारा राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 प्रकाशित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार, समय-समय पर सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा नियम समय सीमा को अधिसूचित करने की व्यवस्था करने के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाएं की गई है, जिसकी छाया प्रति सुलभ संदर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। उक्त अधिनियम-2011 की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या-1884/एक-14-2011-33(100)-2010-टी.सी.-I, दिनांक 19.9.2011 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2198/एक-14-2010-33(100)-2010-टी.सी.III दिनांक 15.1.2011 में संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से अनुसूची मे बढाई गई प्रविष्टियों के निम्नलिखित कम संख्या-6 के अनुसार सेवा सम्बधी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

कसं.	विभाग	संवा संख्या	प्रकरण	निस्तारण की समय सीमा		
				आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
6	सभी विभागों के लिए	10	(i)पेंशन स्वीकृति पर निर्णय	60दिवस	30दिवस	30दिवस
			(ii)जी.पी.एफ.स्वीकृति पर निर्णय	30दिवस	15दिवस	15दिवस
			(iii)चिकित्सा अवकाश स्वीकृति पर निर्णय	15दिवस	15दिवस	15दिवस

			(iv)चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद)	60दिवस	30दिवस	30दिवस
			(v)प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृति पर निर्णय	30दिवस	30दिवस	30दिवस
			(vi)उपार्जित अवकाश स्वीकृति पर निर्णय	15दिवस	7दिवस	7दिवस
			(vii)वेतन भुगतान पर निर्णय	15दिवस	7दिवस	7दिवस
			(viii)गोपनीय प्रविष्टि पर निर्णय	30दिवस	30दिवस	30दिवस
			(ix)सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर निर्णय	90दिवस	30दिवस	30दिवस
			(x)मृतक आश्रित नियुक्ति (सामान्य मामलों में)पर निर्णय	90दिवस	30दिवस	30दिवस

अतः उक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी की सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

04.03.15

(गिरजा शंकर कटियार)
आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक